



फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मटेन्सिड बनाम जमुषिट(कैर)

किस्म मुकदमा ..... प्रोपरा 111-128 ..... नं० ..... 111 ..... सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5-6-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 20-6-23 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>20/6/23 पजावली महंगारि राहत कैम्प एवं प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023 ग्राम पचांयत लेखवा मे पेश हुई । विपक्षीगण के सम्मन खाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शापक किये गये । प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विषय सुधकसे लिखा जाकर शापक किया गया । पजावली कैम्प सुमान होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> हुकमीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 जिला भीलवाड़ा

पीठारीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 111/23 प्रा०पत्र

1- श्री गहेन्द्र सिंह 5/0 श्री गांगु सिंह गणपत गिवासी कैरिया तहसील-गांधल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री प्रगु सिंह 5/0 श्री गांगु सिंह गणपत गिवासी- कैरिया तहसील-गांधल (नौरा) (मूठे कित प्रा०पत्रात्मक)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 3653/3069 कुल कित्ता 01 रकबा 0.8537 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा विन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.23 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरिया पटवार कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 3653/3069 कुल कित्ता 01 रकबा 0.8537 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में नौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023